



पर धर  
श्रीपथि योजना

## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



क्रमांक:-एफ 5( ) एफ.सी.ए/मुवसंज/2022-23 / 1004

दिनांक:- 10/2/2023

निमित्त:-

उप वन संरक्षक  
अलवर

विषय:-Diversion of 2.852 ha. of forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH 8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

Proposal No.-FP/RJ/ROAD /41266/2019

संदर्भ:-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान का पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 28.03.22 व पत्रांक 2744 दिनांक 04.08.2022 एवं इस कार्यालय का संदर्भित पत्र क्रमांक 1960 दिनांक 01.04.2022 व आपका पत्र क्रमांक 315 दिनांक 18.01.2023।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा आलौच्य प्रकरण में आपके पत्रांक 579 दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में पायी गयी कमियों को की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूल ही चार प्रतियों में प्रेषित कर वांछित पूर्ति उपरांत पुनः प्रस्ताव इस कार्यालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था। किन्तु आपके पत्रांक 315 दिनांक 18.01.2023 द्वारा केवल ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 26.02.2021 की पालना रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव के 4 सैट प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रकरण में उच्च कार्यालय एवं इस कार्यालय के संदर्भित पत्र में उल्लेखानुसार आक्षेपो की पूर्ति कर प्रस्ताव के चार सैट इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

~~संलग्न~~ उक्तानुसार।

भवदीय,

  
(मनफूल सिंह)  
मुख्य वन संरक्षक,  
जयपुर